



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 01 फरवरी, 2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा 174ए के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अपराधी को 03 वर्ष 04 माह का कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सचिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम आहनग्रान थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वर्ष-2019 में मौहल्ला नेकजन कस्बा व थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर निवासी एक युवक की जुआँ खेलते वक्त 10 हजार रुपये लूटकर गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहित घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 24.05.2019 को थाना नरसैना पर मुअसं- 70/19 धारा- 396/412/120बी भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त सचिन के विरुद्ध गैर जमानती वारंट एवं 82 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी थी। मा0 न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर अभियुक्त सचिन के विरुद्ध दिनांक 15.11.2019 को थाना नरसैना पर मु0अ0सं0 309/19 धारा 174ए भादवि पंजीकृत किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 01 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 01.02.2024 को मा0 न्यायालय एसीजेएम-01 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सचिन को 03 वर्ष 04 माह का कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री मिथ्युजय सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त सचिन का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मुअसं- 212/10 धारा 399/402 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं- 214/10 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मुअसं- 190/14 धारा 307/323/504 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
- 4- मुअसं- 192/14 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
- 5- मुअसं- 234/14 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
- 6- मुअसं- 157/14 धारा 392 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

- 7- मुअसं- 165/14 धारा 394/411 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 8- मुअसं- 187/14 धारा 392/411 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
- 9- मुअसं- 573/16 धारा 395/397 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 10- मुअसं- 82/17 धारा 395/397 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 11- मुअसं- 108/17 धारा 25 शस्त्र अधि० थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 12- मुअसं- 504/17 धारा 411/414 भादवि थाना कोतवाली जनपद अलीगढ़।
- 13- मुअसं- 552/17 धारा 2/3 गैंग्स्टर एक्ट थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 14- मुअसं- 699/17 धारा 395/412 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ़।
- 15- मुअसं- 70/19 धारा 396/412 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
- 16- मुअसं- 71/19 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
- 17- मुअसं- 216/19 धारा 392/411 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 18- मुअसं- 269/19 धारा 307 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 19- मुअसं- 309/19 धारा 174ए भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
- 20- मुअसं- 44/20 धारा 307 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
- 21- मुअसं- 45/20 धारा 414 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
- 22- मुअसं- 46/20 धारा 3/25ए शस्त्र अधि० थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
- 23- मुअसं- 284/20 धारा 2/3 गैंग्स्टर एक्ट थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सैल बुलन्दशहर

